पत्रांक : DHESec2/संबंधन-27/2020/HTESD-................/

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची -834002

प्रेषक,

रामनिवास यादव,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग,
सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।

राँची, दिनांक ..../

विषयः- बी० एड० महाविद्यालयों को बी०एड० पाठ्यक्रम मे अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अद्यतन Statute मे वर्णित प्रावधान के आलोक मे राज्य के छह विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संचालित अस्थायी संबद्धता प्राप्त बी०एड० महाविद्यालयों को बी०एड०/एम०एड०/बी०पी०एड० पाठ्यक्रम हेतु शक्षणिक सत्र 2024-26, 2025-27 एवं 2026-28 के लिए कंडिका-3 मे अंकित शर्तों के अधीन निमन्वत रूप से अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	विषय	समिति की अनुशंसा
	राँची विश्वविद्यालय, राँची			
1	एन0एन0 घोष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राँची	2024-26, 2025-27 एवं 2026-28	बी0एड0	स्वीकृत
	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग:			
1	नरसिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खपरियावाँ, हजारीबाग	2024-26 एवं 2025-27	बी०एड०	स्वीकृत
	सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका			
1	शिवम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रेखीया, देवघर	2024-26, 2025-27 एवं 2026-28	बी०एड०	स्वीकृत
2	तोकीपुर बी0एड0 कॉलेज, तोकीपुर, दुमका	2024-26, 2025-27 एवं 2026-28	बी०एड०	स्वीकृत
3	पाकुड़ बी0एड0 कॉलेज, पाकुड़	2024-26, 2025-27 एवं 2026-28	बी०एड०	स्वीकृत

शर्तेः-

i. विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन मे दिये गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा समय सीमा के अंदर किया जाएगा।
ii. महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
iii. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम मे वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

कृ0पृ0उ0

iv. जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हे विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्घीकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीने के अंदर NAAC Portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति मे विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

v. विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन०सी०टी०ई०/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

vi. विश्वविद्यालय द्वारा जिन प्रस्तावों को Syndicate के अनुमोदन की प्रत्याशा मे प्रेषित किया गया है, उनसे संबन्धित अधिसूचना के पूर्व Syndicate का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन
ह0/-
(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक :- DHESec2/संबंधन-27/2020/HTESD- 662 / राँची, दिनांक- 08/05/2024

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, सभी बी०एड० महाविद्यालय, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा